BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone: 0612-22675998/2675998/Fax 2675296

कार्यालय आदेश

सर्वश्री रॉयल स्नैक्स (ए युनिट ऑफ पैशन स्कील प्रा0 लि0) को औद्योगिक प्रांगण, बारूण में कार्यालय पत्रांक 2775/डी दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्लॉट संख्या पी–23 रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि का आवंटन Packaged ready to eat (RTE) meals and Snacks, etc (Extruded snacks, Puff, Ring, etc) के उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया।

भू–आवंटन पत्र में निहित कंडिका 20A(b) के अनुसार इकाई को आवंटित भूमि का प्रथम किस्त (20 प्रतिशत) की राशि का भुगतान आवंटन पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर करना था। इकाई द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक 3765/डी दिनांक 15.12.2020 द्वारा प्रथम किस्त की राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया, परन्तु उद्यमी द्वारा अद्यतन प्रथम किस्त (20 प्रतिशत) की राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो भू–आवंटन पत्र के नियम एवं शर्तो के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में भू–आवंटन पत्र में निहित शर्तो, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत्त सर्वश्री रॉयल स्नैक्स (ए युनिट ऑफ पैशन स्कील प्रा0 लि0) को औद्योगिक प्रांगण, बारूण में कार्यालय पत्रांक 2775/डी दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्लॉट संख्या पी–23 रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि का आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश

दिनांक 01.01.2021

ह0/–

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांकः–.................. **दिनांक**..................

प्रतिलिपिः–श्री योगेन्द्र रॉय, द्वारा–श्री प्रनेश कुमार सिंह, उर्मिला निवास, कालीकेट नगर, बेली रोड दानापुर, पटना, बिहार–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक 157/D **दिनांक** 14/01/2021

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 शाखा, बियाडा, पटना /अमीन, बियाडा, पटना/प्रतिवेदन, विकास शाखा, पटना/ क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक प्रांगण, बारूण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के संदर्भ में ऑकडा अद्यतन कर लें।

2.1.21

कार्यकारी निदेशक।